राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985

(1985 का अधिनियम संख्यांक 2)

[9 फरवरी, 1985]

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने और ऐसी योजना के कार्यान्वयन को समन्वित तथा मानीटर करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के उपयोगों के नियंत्रण तथा अवसंरचना के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाने के लिए, जिससे कि उस क्षेत्र के किसी अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके, योजना बोर्ड के गठन का और उससे संबंधित या उससे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

लोक हित में यह समीचीन है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए योजना तैयार करने और ऐसी योजना के कार्यान्वयन को समन्वित तथा मानीटर करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के उपयोगों के नियंत्रण तथा अवसंरचना के विकास के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियां बनाने के लिए, जिससे कि उस क्षेत्र के किसी अव्यवस्थित विकास से बचा जा सके, योजना बोर्ड के गठन के लिए उपबंध किया जाए ;

और संसद् को पूर्वोक्त विषयों में से किसी के संबंध में, राज्यों के लिए विधियां बनाने की, संविधान के अनुच्छेद 249 और 250 में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, कोई शक्ति नहीं है ;

और संविधान के अनुच्छेद 252 के खण्ड (1) के उपबंधों के अनुसरण में हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश राज्यों के विधान-मंडलों के (अभी भवनों)

द्वारा इस आशय के संकल्प पारित कर दिए गए हैं कि पूर्वोक्त विषयों को उन राज्यों में संसद् द्वारा विधि द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए ;

भारत गणराज्य के पैंतीसवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

अध्याय 1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 है।

(2) यह 19 अक्तूबर, 1984 को प्रवृत्त हुआ समझा जाएगा।

2. परिभाषाएं—इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "बोर्ड" से धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन गठित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अभिप्रेत है ;

(ख) "समिति" से धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन गठित योजना समिति अभिप्रेत है ;

(ग) "प्रत्याकर्षण क्षेत्र" से धारा 8 के खण्ड (च) के अधीन बोर्ड द्वारा चयन किया गया नगरीय क्षेत्र अभिप्रेत है ;

(घ) "प्रकार्य योजना" से ऐसी योजना अभिप्रेत है, जो क्षेत्रीय योजना के एक या अधिक तत्वों को सविस्तार प्रतिपादित करने के लिए तैयार की गई हो ;

(ङ) "भूमि" के अन्तर्गत भूमि से उद्भूत होने वाले फायदे और भूबद्ध या भूबद्ध किसी चीज के साथ स्थायी रूप से जकड़ी हुई चीजें आती हैं ;

(च) "राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्र अभिप्रेत है :

परन्तु केन्द्रीय सरकार भाग लेने वाले संबद्ध राज्य की सरकार की सहमति से और बोर्ड के परामर्श से राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अनुसूची में कोई क्षेत्र जोड़ सकेगी या किसी क्षेत्र को उससे अपवर्जित कर सकेगी ;

(छ) "भाग लेने वाले राज्य" से हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के राज्य अभिप्रेत हैं ;

(ज) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है ;

(झ) "परियोजना प्लान" से क्षेत्रीय योजना, उपक्षेत्रीय योजना या प्रकार्य योजना के एक या अधिक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए तैयार किया गया ब्यौरेवार प्लान अभिप्रेत है ;

(ञ) "क्षेत्रीय योजना" से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भूमि के उपयोगों के नियंत्रण और अवसंरचना के विकास के लिए इस अधिनियम के अधीन तैयार की गई योजना अभिप्रेत है ;

(ट) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा बनाए गए विनियम अभिप्रेत हैं ;